

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (4) सा.प्र./ग्रुप-4/11
मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

जयपुर, दिनांक 17/11

विषय:- चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 2.77 लाख (अक्षरें रूपये दो लाख सत्तहतर हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1.	एफ-144 गांधीनगर, जयपुर	1. एसी शेड 2. रफ कोटा स्टोन 3. टाईल फ्लोरिंग	0.20 0.11 0.17	0.48
2.	एफ-130 गांधीनगर, जयपुर	1. टाईल फ्लोरिंग 2. रफ कोटा स्टोन फ्लोरिंग 3. वाइडनिंग ऑफ कम्पाउण्ड वाल गेट 4. रिप्लेसमेंट ऑफ डोर एण्ड विण्डो	0.15 0.09 0.12 0.12	0.48
3.	4/58, गांधीनगर, जयपुर	1. रफ कोटा स्टोन कार्य 2. कार शेड कार्य 3. किचन नवीनीकरण	0.09 0.22 0.15	0.46
4.	एफ-127, गांधीनगर, जयपुर	1. टॉयलेट/किचन नवीनीकरण 2. कार शेड 3. रफ कोटा स्टोन फ्लोरिंग 4. रिप्लेसमेंट ऑफ जाली विण्डो	0.12 0.20 0.09 0.06	0.47
5.	एफ-412, गांधीनगर, जयपुर	1. टाईल फ्लोरिंग 2. टीन शेड	0.25 0.15	0.40
6.	एफ-198, गांधीनगर, जयपुर	1. कार शेड 2. किचन नवीनीकरण 3. मेन गेट	0.22 0.20 0.06	0.48
		योग		2.77

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [04] प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

Sd
उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिषाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिषाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।

Sd
उप शासन सचिव (क)